कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,गाजीपुर।

विज्ञप्ति

दिनांकः अप्रैल 25, 2019

माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं0–956/SLSA/37A-2010 दिनांक 17-04-2018 व पत्रांक– 625/SLSA/37A-2010 दिनांक 18-03-2019 तथा शासनादेश सं0–688/सात–न्याय-7-2012-11/2011 दिनांक 03-09-2012 के अनुक्रम में नियत मानदेय पर 4 (चार) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसमें 2 चपरासी 7000/– रूपये प्रतिमाह प्रति कर्मचारी, एक चौकीदार 5000/– रूपये प्रतिमाह व एक स्वीपर 2000/– रूपये प्रतिमाह, पर जनपद में स्थापित ए0डी0आर0 केन्द्र तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर में दिनांक 29-02-2020 तक के लिए नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जानी हैं। जिस हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर में दिनांक 14.05.2019 सायं 04:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, नियम व शर्ते जनपद न्यायालय गाजीपुर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/ghazipur से डाउनलोड किया जा सकता हैं।

(मु0 रिज्वानुल हक)
अध्यक्ष,चयन समिति/अपर जिला एवं,
सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0–1,
गाजीपुर।

दिनांकः 25-04-2019

Copy be sent to

SALSA .

Emp. Exchange also,

नियम व शर्ते

1— सेवा प्रदात द्वारा उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी 02 पद, चौकीदार 01 पद, व सफाई कर्मी 01 पद) कुल 04 पदों पर नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/—, 500/— व 2000/— रूपये पर अस्थायी रूप से दिनांक 29-02-2020 तक के लिए नियुक्ति की जायेगी। नियुक्त कर्मचारीगण का मानदेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में ई—पेमेंट/चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा और संबंधित कर्मचारीगण उक्त सेवा प्रदाता से अपने मानदेय का भुगतान प्राप्त करेंगे। संबंधित कर्मचारीगण एवं प्राधिकरण के मध्य इस संबंध में कोई संव्यवहार अथवा पत्राचार नही हो सकेगा।

उपरोक्त अस्थाई पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित योग्यता होगी।

क्र0सं0	पदनाम	योग्यता
1	चपरासी	कक्षा आठवीं (चार पहिया वाहन चालक को वरीयता)
2	चौकीदार	कक्षा पॉच
3	सफाईकर्मी	शिक्षित
उम्र— उक्त पद हेतु कर्मचारियों की आयु 01 मार्च 2019 को 18 वर्ष से कम न हो व 35 वर्ष से अधिक न हो।		

उपरोक्त के अतिरिक्त अच्छे आचरण एवं चाल चलन वाला, आज्ञाकारी व विनम्र स्वभाव होना अनिवार्य हैं।

2— सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी का कोई भी अपराधिक इतिहास व कोई भी अनैतिक आचरण का कोई आरोप नही होना चाहिए।

3— आवेदन निःशुल्क हैं।

4— आवेदन पत्र कार्याल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर में दिनांक 14-05-2019 को सायं 04:00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।

5— सेवा प्रदाता स्वयं के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद गाजीपुर से 100/— रूपये के स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त आशय का इकरारनामा निष्पादित करेगा, जिसमें नियुक्त व्यक्ति का आज्ञाकारी, विनम्र व विहित योग्यताधारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी।

6— नियुक्त कर्मचारी की सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर किसी भी समय व स्तर पर उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

(मु0 रिजवानुल हक)
अध्यक्ष,चयन समिति/अपर जिला एवं,
सत्र न्यायाधीश,कक्ष सं0—1,
गाजीपुर।

दिनांकः 25-04-2019